order Sheet [Contd]

प्र0क0 136/2015

Date of Order or Proceeding with Signature of presiding Order or proceeding with Signature of presiding Ure of Pleaders where necessary Ure of a figure of Pleaders where necessary Ure of a figure of a figu		70 40 100/ 2010	
सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री गोहद सहित उनके अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव उप०। अमियुक्त / गण रामवीर अनुपरिथत। प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में अभियुक्त / गण के द्वारा विद्युत विल की बकाया ग्रिश जमा की जा चुकी है। ऐसी रिथित में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे। सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गयी। उन्त अमियुक्त का अगर जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो। प्रकरण में कोई जम्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0— 20 एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
गाहद, जिला भिण्ड	09.12.2017	सहायक यंत्री / किनिष्ट यंत्री गोहद सहित उनके अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव उप0। अभियुक्त / गण रामवीर अनुपस्थित। प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में अभियुक्त / गण के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे। सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गयी। उक्त अभियुक्त का अगर जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो। प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0— 20 एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश	STATE OF THE STATE
		नार्थ, गिर्णा गिन्ध	